IV ऋण प्रदान करना एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने देश भर में व्यापक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने और ऋण वितरण में सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखा। कृषि ऋण में वृद्धि को जोर दिया जाना जारी रखने के अलावा वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने पर प्रमुखता से जोर दिया गया ताकि ये क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सकें। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रारंभ किए जाने से बहुत बल मिला।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने पूर्ण सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक की विकासात्मक एवं विनियामकीय भूमिका के अंतर्गत संस्थानों की हिफाजत में वित्तीय उत्पादों का प्रावधान करने को हमेशा प्राथमिकता दी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को समुचित वित्तीयन सुनिश्चित किया जा सके। वर्षों के दौरान, समाज की विविध वित्तीयन सबंधी जरूरतों तक पहुंचने के लिए नवेन्मेषों के साथ ऋण प्रदान करने की प्रणाली का विकास एवं विस्तार हुआ है। हाल ही में, प्रयास यह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने एवं संभावनाओं तथा शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में प्राप्त किए गए अनुभवों का विस्तार भौगोलिक क्षेत्रों एवं समाज के उन वर्गों तक किया जाए जिनको मूल्यन की क्षमता के अभाव के कारण विषम ऋण बाजारों द्वारा छोड़ दिए जाने की प्रवृत्ति होती है। 2014-15 में, सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने, बेहतर समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने तथा अधिक व्यापकरूप से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया।

IV.2 इसके अनुरूप, वित्तीय समावेशन का नोडल विभाग होने के कारण वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी) ने देश भर में व्यापक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए समय पर आसानी से ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि दक्ष और समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास किया जा सके।

2014-15 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IV.3 बेहतर समावेशिता को बढ़ावा देने के अपने प्रमुख उद्देश्य से प्रेरित रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान, सभी बैंक रहित गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने और ऋण प्रदान करने में सुधार लाने हेतु वित्तीय समावेशन को बैंकों के लिए एक सुकर प्रस्ताव बनाने के प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय समावेशन के रोडमैप के वर्तमान चरण- II, जिसमें 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की परिकल्पना की गई है, के अंतर्गत कार्यनीति में बैंक रहित गांवों की पहचान करने और ऐसे गांवों को कवर करने के लिए बैंकों को आबंटित करना शामिल था। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है जो दिशानिर्देशों पर दुबारा विचार करेगा।

IV.4 रिज़र्व बैंक अपनी विकासात्मक भूमिका के अनुसार दक्ष एवं समग्र ऋण प्रदान करने, विशेषरूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता देता है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक रूप से कृषि, एमएसएमई क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करना समाहित है। वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ताकि क्षेत्र की संभावनाओं का विस्तार किया जा सके और ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके। वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन के लिए रिज़र्व बैंक के समकालिक प्रयासों के साथ *प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)* प्रारंभ होने से वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बहुत प्रोत्साहन मिला। ऋण वितरण को सरल बनाने के लिए, सभी प्रकार के ऋणों में राशि

का ध्यान रखे बिना, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) एवं संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया। एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित व्यापार प्राप्तियां और बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) के रूप में विलंबित भुगतान के मुद्दे से निपटने के लिए प्रणाली की शुरूआत करने, एमएसएमई से संबंधित मामलों में अनुसंधान करने, एमएसएमई प्रभागों के प्रभारी अधिकारियों एवं वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उनका आयोजन करने जैसे नवोन्मेषी कदम उठाए गए। इनके अतिरिक्त, अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने से संबंधित मामलों में ध्यान देने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई प्रभागों की स्थापना की गई।

ऋण प्रदान करना

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

IV.5 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से तात्पर्य अथव्यवस्था के उन क्षेत्रों से है जिन्हें, व्यवहार्य एवं ऋण पात्रता होने के बावजूद विशेष प्रावधान किए बिना यथा समय पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण विशिष्टरूप से, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए कृषकों, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों, आवास के लिए गरीबों, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों, अन्य निम्न आय वाले समूहों और कमजोर तबकों, को दिए जाने वाले कम मूल्य के ऋण होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों का विस्तार देश भर में कोने-कोने तक है। पहाड़ी एवं तटवर्ती क्षेत्रों में इनका विशेषरूप से फैलाव है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान किए जाने को उनके सामान्य कारोबारी परिचालनों के हिस्से के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे लक्षित करके, सभी ऋणों के मूल्यन को स्वतंत्र कर दिया गया है, हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि बहुत अधिक मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। (सारणी IV.1)

सारणी IV.1: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

31 मार्च को बकाया	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2014	16,190 (39.4)	4,645 (43.9)	907 (35.8)
2015	17,512 (37.3)	5,303 (42.8)	970 (35.9)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दर्शाई गई संख्याएं एएनबीसी या सीईओबीई की तुलना में प्रतिशत संबंधित समूहों में जो भी अधिक हैं, को प्रदर्शित करती हैं।
2. वर्ष 2015 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

IV.6 आंतरिक कार्य दल की अनुशंसाओं के आधार पर अप्रैल 2015 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। एमएसएमई क्षेत्र को जोर देने की मंशा से मध्यम उद्यमों को प्राथमिताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। मध्यम उद्यमों के अलावा, दो नई श्रेणियां, नामतः सामाजिक आधारभूत संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना - एक नई दृष्टि

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं :

- लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 8 प्रतिशत (कृषि के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत) तथा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 7.5 प्रतिशत लक्ष्य अलग से निर्धारित किए गए हैं जिनको 2017 तक चरणबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाना है। 2017 में समीक्षा के उपरांत 2018 के बाद इन लक्ष्यों को 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू किया जाएगा।
- मध्यम उद्यमों, सामाजिक आधारभूत संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने हेतु प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में 2016-17 से, संबंधित वर्ष के अंत में 'तिमाही' औसत के आधार पर निगरानी करना।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को व्यापार के लिए उपयुक्त लिखत माना जाएगा। खरीदकर्ता (कमी पूरी करने वाला

(जारी...)

बैंक) विक्रेता बैंक (जिस बैंक ने पीएसएल की आवश्यकताओं से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो) को किसी विशिष्ट तारीख के लिए लागू निर्धारित राशि के पीएसएल दायित्व की खरीद के लिए 'मूल्य/शुल्क' अदा करेगा।

- ₹1 मिलियन तक के शिक्षा ऋणों (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋण सहित) को, स्वीकृत राशि को ध्यान में रखे बिना, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त ऋण माना जाए।
- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 32 प्रतिशत तक निर्यात ऋण या बैलेंस शीट में दर्शाए गए निवेशों से इतर ऋण की समतुल्य राशि (सीईओबीई), जो अधिक हो, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में उपयुक्त माना जाए। 20 या अधिक शाखाओं वाले देशी बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की समान तारीख की तुलना में वृद्धिशील निर्यात ऋण को एएनबीसी या सीईओबीई के 2 प्रतिशत तक (जो अधिक हो) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा।
- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों से एएनबीसी या सीईओबीई के 40 प्रतिशत, जो अधिक हो, के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को 2020 तक चरणबद्ध ढंग से प्राप्त करने की अपेक्षा है।

कृषि के लिए ऋण का प्रवाह

IV.7 कृषि ऋण के लिए लक्ष्य प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की अगुआई में, हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का वास्तविक प्रवाह लक्ष्य से अधिक रहा है। हालांकि, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 2013-14 तथा 2014-15 में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए (सारणी IV.2)।

कृषि में दबावग्रस्त आस्तियां

IV.8 कृषि क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में 2010 से निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे अन्य बातों के अलावा कृषि ऋणों की वसूली में कमी का पता चलता है (सारणियां IV.3 एवं IV.4)।

IV.9 सरकार द्वारा कृषि ऋणों को ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना (छूट) के माध्यम से पुनर्भुक्तान को प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद आस्ति गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। योजना को प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों की जांच कर रही है।योजना को 2015-16 तक बढ़ा दिया गया है।

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रवाह

IV.10 एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में सरकार तथा रिज़र्व बैंक के ध्यान केंद्रित किए जाने के असर निरूपित करते हुए इस क्षेत्र में ऋण में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है जबकि 2014-15 के दौरान समग्ररूप से बैंक ऋण में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.5)।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम

IV.11 एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह की बाधाओं से निपटने के लिए वर्ष के दौरान बहुत से कदम उठाया। एमएसएमई क्षेत्र को विलंबित भुगतान के मुद्दे के समाधान के लिए एमएसएमई के इनवासों/विनिमय बिलों को भुनाने की सुविधा प्रधान करने के लिए टीआरईडीएस की संकल्पना की गई है (विवरण के लिए अध्याय IX देखें)। टीआरईडीएस से प्राप्य राशि की उगाही में तेजी आएगी तथा इस क्षेत्र में रूग्णता की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

मार्च अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक		सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	4,750	5,090	1,250	1,199	1,000	827	7,000	7,116
2014-15*	5,400	5,997	1,400	1,384	1,200	1,025	8,000	8,406

*: अनंतिम

सारणी IV.3: कृषि क्षेत्र में अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

मार्च अंत में	बकाया कृषि ऋण (₹ बिलियन)	कृषि में सकल एनपीए * (₹ बिलियन)	बकाया कृषि ऋण की तुलना में सकल एनपीए (कृषि) का अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
2010	4,636	104	2.2
2011	5,072	167	3.3
2012	5,802	248	4.3
2013	6,428	302	4.7
2014	7,698	340	4.4
2015	8,295	391	4.7

* सिर्फ अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी)

IV.12 रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने निम्नलिखित के लिए विशिष्ट एमएसएमई प्रभागों की स्थापना की है (i) ऋण प्रवाह तथा रूग्णता के बारे में क्षेत्र से आंकड़े क्रमवार व्यवस्थित करना तथा उनका विश्लेषण करना; (ii) क्षेत्र में एमएसएमई इकाईयों की देखभाल तथा पुनरूद्धार के लिए किए गए बैंकों के प्रयासों की निगरानी करना; (iii) चिह्नित एंव गैर-चिह्नित संकुलों में बैंकिंग गतिविधियों निगरानी करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, बैंकिंग गतिविधि को बढ़ाने के लए कदम उठाना; (iv) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाले बैंक कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण की गतिविधियां आयोजित करना; तथा (v) एमएसएमई से संबंधित मामलों के संबंध में अनुसंधान करना, जैसे कि ऋण संबंधी मामले, संकुलों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, रूग्णता तथा क्षमता निर्माण।

IV.13 रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे बैंकों के एमएसएमई प्रभागों की क्षमता निर्माण करने तथा उद्यमिता-संवेदना का विकास करने के प्रयास के रूप में एमएसएमई प्रभाग के प्रभारी अधिकारियों तथा वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षकों के लिए

सारणी IV.4: प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

वर्ष	कुल मांग (₹ बिलियन)	कुल वसूली (₹ बिलियन)	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4
2012	1,917.7	1,428.9	74.5
2013	2,596.2	1,975.7	76.1
2014	2,814.9	2,066.0	73.4

सारणी IV.5: एमएसई में ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2014	12.6 (12.3)	8,510.9 (23.9)	15.7
2015	13.8 (10.1)	9,664.8 (13.6)	17.8

टिप्पणियां: 1. 2015 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को प्रतिशत में सूचित करते हैं।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। सीएबी, पुणे रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया है जो बाद में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं के शाखा प्रबंधकों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

वित्तीय समावेशन

2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए रोडमैप

IV.14 रिज़र्व बैंक ने सभी बैंक रहित गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इस कार्य हेतु 2,000 से कम जनसंख्या वाले लगभग 490,000 बैंक रहित गांवों को चिह्नित किया गया और रोडमैप के जारी चरण -II के अधीन उन गांवों को कवर करने के लिए बैंकों को आबंटित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 के अंत में, 390,387 गांवों को 14,207 शाखाओं, 357,856 कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) तथा आटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) एवं मोबाइल वैनों इत्यादि जैसे अन्य 18,324 माध्यमों से कवर किया गया। वर्तमान में चालू पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के कारण बैंकों को चरण II के तहत कवरेज को पूर्व निर्धारित 31 मार्च 2016 के स्थान पर 14 अगस्त 2015 तक पूरा करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

IV.15 औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उससे वंचित जनसंख्या तक विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को पीएमजेडीवाई प्रारंभ किया। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं - (i) किसी बैंक की शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि केंद्र में मूलभूत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलने की

सुविधा; (ii) दुर्घटना बीमा कवर (₹0.1 मिलियन) तथा जीवन बीमा क वर (₹30,000); तथा (iii) 6 महीनों तक खाते का संचालन संतोषप्रद होने पर खाते में जमा से अधिक राशि निकालने (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा। योजना प्रारंभ किए जाने से 30 जून 2015 तक 165.7 मिलियन खाते खोले गए। भारत सरकार ने पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों सहित बीएसबीडी खाता धारकों के लिए अनुदान, भुगतान खाते में जमा करने करना प्रारंभ किया है तथा बीमा एवं पेंशन उत्पादों को भी खातों से संबद्ध करने की शुरूआत की है। इन खातों में गतिविधियां बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं -(i) केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रारंभ करना; (ii) सावधानी बरतते हुए समुचित ऋण उत्पाद (कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र) उपलब्ध कराना; (iii) कारोबारी प्रतिनिधियों के नेटवर्क को मजबूत करना; तथा (iv) वित्तीय साक्षरता के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।

IV.16 2 अप्रैल 2015 को मुंबई में आयोजित रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के समारोह का मुख्य विषय वित्तीय समावेशन रखा गया था जिससे वित्तीय समावेशन के बारे में रिज़र्व बैंक के ध्यान केंद्रित किए जाने का पता चलता है (बॉक्स IV.2)।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.17 रिज़र्व बैंक, बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के माध्यम से उच्चतम स्तर पर वचनबद्धता के साथ संरचित एवं योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। 2014-15 में खोली गई कुल 3,445 ग्रामीण बैंक शाखाओं में से 2,230 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गईं। लगभग 155 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए जिससे कुल बीएसबीडीए की संख्या 398 मिलियन हो गई। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए 147 मिलियन खाते भी इसमें शामिल हैं। 2.6 मिलियन लघु कृषि क्षेत्र ऋणों (किसान क्रेडिट कार्ड -केसीसी) एवं 1.8 मिलियन लघु गैर-कृषि क्षेत्र ऋणों (सामान्य क्रेडिट कार्ड - जीसीसी) को जोड़कर ऐसे खातों की कुल संख्या बढ़कर क्रमशः लगभग 42.5 मिलियन एवं 9.2 मिलियन हो गई (सारणी IV.6)।

वित्तीय समावेशन में बाधाएं

IV.18 वित्तीय समावेशन के तहत उठाए गए नए कदमों के कारण वंचित वर्ग के लोगों के मूलभूत खाते बड़ी संख्या में खोले जाने के बावजूद इन खातों का परिचालनगत बना रहना सुनिश्चित करने के

बॉक्स IV.2
भारतीय रिज़र्व बैंक के 80 वर्ष : वित्तीय समावेशन सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 02 अप्रैल 2015 को मुंबई में वित्तीय समावेशन सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित अन्य गण्यमान्य लोगों में बैंकिंग तथा वित्त जगत के विशेषज्ञों के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल, भारत के वित्त मंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल थे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने *भारतीय रिज़र्व बैंक का संक्षिप्त इतिहास : 1935-1981* का विमोचन किया।

प्रधानमंत्री जी ने रिज़र्व बैंक की स्थापना का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने तक चरणबद्ध ढंग से लक्ष्य निर्धारित करते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्रोत्साहित किया।

सम्मेलन के हिस्से के रूप में निम्नलिखित विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं : (i) 'वित्तीय समावेशन-सभी प्रयत्नों का असर होने दें'; (ii) 'वित्तीय समावेशन के लिए कारोबारी मामला तैयार करना - क्या आगे की राह बीसी मॉडल है ?'; (iii) 'वित्तीय समावेशन - आगे की राह'; (iv) 'वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्संबंध'। विचार-विमर्श से उभर कर आई कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, रिज़र्व बैंक तथा बैंकों के मिलेजुले प्रयासों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण, नवोन्मेषी माध्यमों/प्रौद्योगिकी तथा बीसी मॉडल का ईष्टतम प्रयोग करने के मिलेजुले रूपों का प्रयोग किया जाना होगा।
- बीसी मॉडल से संबद्ध जोखिमों को सुरक्षित प्रणाली की स्थापना, समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रभावी पर्यवेक्षण, दक्ष नगदी प्रबंध सेवाएं तथा क्षमता निर्माण करके कम किया जा सकता है।
- ग्राहकों द्वारा प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता के स्तर को बढ़ाने के लिए बैंकरों की ओर से निरंतर वित्तीय साक्षरता के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी।
- अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता होना उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का अभिन्न अंग है। इसके लिए बैंकों को मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का विकास करने की भी अनिवार्यता होगी।

सारणी IV.6: वित्तीय समायोजन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सारांश

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्रगति
1	2	3	4	5
गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखाएं	33,378	46,126	49,571	3,445
गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखा रहित मोड	34,316	337,678	504,142	166,464
गांवों में बैंकिंग केंद्र - कुल	67,694	383,804	553,713	169,909
बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	60,730	96,847	36,117
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.2	126.0	210.3	84.3
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	44.3	273.3	365.0	91.7
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.3	116.9	187.8	70.9
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	10.7	39.0	74.6	35.6
कुल बीएसबीडीए (संख्या मिलियन में)	73.5	243.0	398.1	155.1
कुल बीएसबीडीए (राशि ₹ बिलियन में)	55	312.3	439.5	127.3
बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ लिया गया (संख्या मिलियन में)	0.2	5.9	7.6	1.7
बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ लिया गया (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	16.0	19.9	3.9
केसीसी (संख्या मिलियन में)	24.3	39.9	42.5	2.6
केसीसी (राशि ₹ बिलियन में)	1,240.1	3,684.5	4,382.3	697.8
जीसीसी (संख्या मिलियन में)	1.4	7.4	9.2	1.8
जीसीसी (राशि ₹ बिलियन में)	35.1	1,096.9	1,301.6	204.7
आईसीटी खातों में बीसीटी लेनदेन (संख्या मिलियन में)*	26.5	328.6	477.0	477.0
आईसीटी खातों में बीसीटी लेनदेन (राशि ₹ बिलियन में)*	6.9	524.4	859.8	859.8

*: वित्तीय वर्ष के दौरान।

लिए प्रयासों को जारी रखना होगा। सभी सरकारी भुगतान बैंकिंग के माध्यम से किए जाएं तो यह संभव है। इससे आगे बढ़ते हुए, ये लेनदेन बैंकिंग तंत्र के माध्यम से करने के लिए बैंकों को समुचित पारिश्रमिक प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी बैंकिंग सेवाएं अंततः, देश भर में तैयार किए गए बैंकिंग कारोबारियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किए जाने की अपेक्षा किए जाने के कारण यह आवश्यक है कि बैंकिंग कारोबारियों के परिचालनों पर बैंकों द्वारा समुचित नियंत्रण प्रणाली का होना सुनिश्चित किया जाए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग कारोबारी मॉडल की सफलता देश भर में समुचित नेटवर्क कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक आश्रित है।

ऋण वितरण को सरल बनाना

IV.19 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया है कि राशि को ध्यान में रखे बिना, सभी प्रकार के ऋणों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं (एसएचजी एवं जेएलजी सहित) से बेबाकी प्रमाणपत्र लेना बंद करें। बैंकों को ऋण मूल्यांकन में सावधानी बरतने के वैकल्पिक ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक समाहित हो सकते हैं - (i) ऋण संबंधी सूचना देने वाली कंपनियों के माध्यम से ऋण के अतीत पर नजर रखना; (ii) स्वयं का घोषणापत्र या उधारकर्ता का घोषणापत्र; (iii) प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्रचना एवं प्रतिभूत ब्याज (सीईआरएसएआई) का केंद्रीय पंजीयन; (iv) आपसी निगरानी; (v) ऋण प्रदानकर्ताओं के बीच सूचना साझा करना; तथा (vi) सूचना की तलाश (निर्धारित-अपनी समय-सीमा के बाद अन्य ऋण प्रदानकर्ताओं को लिखकर सूचित करना)।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता कैंप

IV.20 रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता का विस्तार करने के प्रयास अपने सीधे उपायों के अलावा बैंकों के माध्यम से भी किए जाते हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार वित्तीय साक्षरता केंद्र (एलएलसी) एवं बैंकों की ग्रामीण शाखाएं से कम से कम महीने में एक वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करने की अपेक्षा होती है, जिनमें वित्तीय

सारणी IV.7: वित्तीय शिक्षा केंद्रों द्वारा की गई गतिविधियां

विवरण	2013-14 (अप्रैल-मार्च)	2014-15# (अप्रैल-मार्च)
1	2	3
कार्यशील एफएलसी की संख्या	942	1,181
संपन्न गतिविधियों की संख्या *	56,985	84,089
प्रतिभागियों की कुल संख्या*	3,826,068	5,238,358
कैंप में भाग लेने के बाद खाता खोलने वाले प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1,442,546
कैंप में भाग लेने के समय पहले से खाता धारक प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	2,890,204

* आउटडोर तथा इनडोर -दोनों गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि, अप्रैल 2014 से इनडोर गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।
\# : अनंतिम

रूप से वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना होता है। इनके अतिरिक्त, बैंकों को ऐसे कैंपों का आयोजन बैंक रहित स्थानों पर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्च 2015 के अंत में, देश में 1,181 एफएलसी कार्यरत हैं जबकि मार्च 2014 के अंत में इनकी संख्या 942 थी। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि में, बैंकों की 32,509 ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन किया गया और एफएलसी तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित कैंपों में 5.7 मिलियन प्रतिभागियों के खाते खोले गए (सारणी IV.7 एवं IV.8)।

2015-16 के लिए कार्यसूची

IV.21 आगे चलकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने का प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) जारी करने की कार्यप्रणाली क्रियान्वित की जाएगी। इससे बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के उपकरण के रूप में मदद मिलेगी तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में उनके तुलनात्मक लाभों को लिवरेज करने की अनुमति/छूट मिलेगी। वित्तीय समावेशन के लिए मापनीय मध्यावधिक (पांच वर्ष) कार्ययोजना तैयार करने के लिए

सारणी IV.8: ग्रामीण शाखाओं द्वारा की गई गतिविधियां

विवरण	2014-15*
1	2
ग्रामीण शाखाओं की संख्या	52,934
कैंप आयोजित करने वाली ग्रामीण शाखाओं की संख्या	32,509
आयोजित किए गए कैंपों की संख्या	306,188
प्रतिभागियों की कुल संख्या	14,826,647
कैंप में भाग लेने के बाद खाता खोलने वाले प्रतिभागियों की संख्या	5,657,092
कैंप में भाग लेने के समय पहले से खाताधारक प्रतिभागियों की संख्या	6,686,518

* : अनंतिम

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि मार्ग तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती)। लीड बैंक, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), केसीसी, एसएचजी और बैंक संबंध तथा बीसी मॉडल जैसी वर्तमान योजनाओं के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किए जाएंगे।

IV.22 वर्ष के दौरान टीआरईडीएस का कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी संकल्पना एमएसएमई के इनवाइसों/विनिमय बिल भुनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमएसएमई इकाइयों की देखरेख और पुनरूद्धार करने, इस प्रकार की इकाइयों में ऋण प्रवाह तथा रूग्णता के मिलान एवं विश्लेषण के लिए बैंकों के प्रयासों की निरंतर निगरानी की जाएगी। रिज़र्व बैंक ने 'उद्यमिता-संवेदना' का विकास करने एवं बैंकों की ओर से संपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इससे, कार्यकर्ताओं को एमएसएमई उद्यमियों की ऋण संबंधी वास्तविक जरूरतों को समझने एवं यथासमय प्रतिक्रिया देने में मदद मिलने की अपेक्षा की जाती है।